न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 10/2020 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00078

अपीलांट :–

1. रघुवीरसिंह पुत्र तखतसिंह
2. सबलवीरसिंह
3. मानवेन्द्रसिह
4. हिम्मतवीरसिंह, पुत्रगण रघुवीरसिंह, जातिगण राजपूत निवासीगण साण्डेराव, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. राजस्थान राज्य जरिये भुमिधारी नायब तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन दवे उपस्थित
रेस्पोडेंट की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 15/3/21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 नायब तसहीलदार सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1504/2019–20 बअनवान सरकार बनाम रघुवीरसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 06.03.2020 के विरूद्ध पेश की गई जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन एवं मातहत अदालात का रेकर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा वक्त बहस कथन किया कि पटवार हल्का साण्डेराव ने एक रिपोर्ट ग्राम सांडेराव चक–।। तहसील सुमरेपुर के खसरा नंबर 1210 कुल रकबा 14.50 में से 6.40 किस्म चाही दोयम व जाव दोयम भूमी का अनाधिकृत कब्जा काश्त कर अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट करने पर अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जैर अपील निर्णय दिनांक 06.03.2020 को नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित किया गया जो निम्न आधारों पर खारिज योग्य है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटगण को मातहत अदालत द्वारा सुना नहीं गया न ही साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु अवसर ही प्रदान किए गए। सभी अपीलांटगण की तलबी नहीं की गई तथा पटवार हल्का तथा भू अभिलेख निरीक्षक के बयान अपीलांटगण एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में लिए गए उनसे जिरह करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया तथा जैर अपील आदेश पारित कर दिए जो खारिज योग्य है। अपीलांटगण द्वारा राजस्व न्यायालय से स्थगन होने का भी जिक्र किया गया जिसे नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा अनसुना कर आदेश पारित कर दिए गए है। नायब तहसीलदार सुमेरपुर को उक्त आराजी में खड़ी फसल निलाम करने का अधिकार ही नहीं था फिर भी निलामी कर दी गई। अपीलांटगण के विरूद्ध पूर्व में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कभी भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ न ही उसे बेदखल किया गया है जैर अपील आराजी नियमितीकरण योग्य होने के बावजूद भी नहीं किया गया तथा बेदखली जुमार्ना एवं 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित कर दिया गया। अपीलांटगण द्वारा किसी प्रकार का उक्त आराजी पर अतिक्रमण नही होने बाबत कथन किया न ही पूर्व में कभी अतिक्रमण किया गया था। इस प्रकार पूर्व में कभी बेदखल के आदेश पारित किया जाना सिद्ध नही होने के बावजूद भी 3 माह सिविल कारावास से दण्डित कर दिया। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर जैर अपील आदेश दिनांक 06.03.2020 को अपास्त कराने का आदेश प्रदान करावें।

सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि पटवार हल्का साण्डेराव ने अपीलांटगण द्वारा ग्राम साण्डेराव तहसील सुमेरपुर में खसरा नम्बर 1210 कुल रकबा 14.50 में से 6.40 किस्म चाही दोयम व जाव दोयम पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर गैंहू की फसल रकबा 2.80 में तथा रकबा 1.6. में सरसों की फसल बोने की रिपोर्ट करने पर अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही कर अपीलार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलार्थी की ओर से मातहत अदालत में वकील भी मुर्कर किया गया तथा 26.02.2020 को बाद अपीलार्थी के अधिवक्ता की मौजूदगी में बयान पटवार हल्का साण्डेराव व भू अभिलेख निरीक्षक साण्डेराव के लिए गए। तथा उनके वकील द्वारा समय चाहने पर दिया गया। तथा अतिक्रमित आराजी ने खड़ी फसल कुर्क करने के आदेश पटवार हल्का साण्डेराव व भू अभिलेख निरीक्षक साण्डेराव को दिए गए तथा अगली सुनवाई 05.03.2020 को नियत रखी गई तथा अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस हेतु समय चाहा जो दिया जाकर दिनांक 06.03.2020 को बहस सुनी जाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया। फसल कुर्की भी मौके पर की गई तथा निलामी भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:25:56 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश..........2

की गई जो मातहत अदालत की पत्रावली के संलग्न फर्द कुर्की से स्पष्ट है। तथा पटवार हल्का के व भू अभिलेख निरीक्षक साण्डेराव के बयानों से पश्चातवृती अतिक्रमी होना सिद्ध है अपीलांटगण के मातहत अदालत द्वारा जो नोटिस दिया गया उसमें भी पूर्व में वर्ष 2075 में भी अतिचार अपीलांटगण द्वारा किया जाने का उल्लेख है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में स्थगन जारी होने बाबत अपीलांटगण द्वारा अतिक्रमित आराजी पर स्थगन होने बाबत स्थगन की प्रति किसी भी न्यायालय की पेश नहीं की गई ऐसी स्थिति में मातहत अदालत द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह यथावत रखा जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। मातहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवार हल्का साण्डेराव द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अतिक्रमण रिपोर्ट पेश करने पर मातहत अदालत नायबत तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के दर्ज कर अप्रार्थीगण को इसी भूमी पर वर्ष 2075 में अतिचार किए जाने का उल्लेख करते हुए वर्ष 2076 में पश्चातवृती अतिचार करने बाबत नोटिस दिया गया।

अपीलांट द्वारा मातहत अदालत में जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिवक्ता का वकालतनामा मातहत अदालत की पत्रावली में संलग्न है इस प्रकार अपीलांटगण को तलब करने की कार्यवाही मातहत अदालत द्वारा की गई एवं सभी को इस बात की जानकारी थी। उनके अधिवक्ता की उपस्थिति में ही पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक साण्डेराव दोनों के बयान दर्ज किए गए। अपीलांटगण हिम्मतवीरसिंह एवं मानवेन्द्रसिंह द्वारा दिनांक 05.03.2020 को प्रकरण में जवाब भी पेश किया गया फिर प्रकरण में बहस हेतु भी एक अवसर दिया गया तथा बाद सुनने बहस अपील में निर्णय पारित किया गया इस प्रकार यह कहना पक्षकारान को सूचित नहीं किया गया जो अनुचित व सरासर गलत है। पटवार हल्का द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट करने पर नायब तहसीलदार (सम्बन्धित) अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करने मे सक्षम है। अपीलांटगण द्वारा किसी राजस्व न्यायालय द्वारा पारित स्थगन की प्रति अथवा भूमी के पुश्तैनी हक की होने बाबत दस्तावेज न तो मातहत अदालत में पेश किया न ही इस न्यायालय में आदिनाँक पेश किये गये इससे जाहिर है कि किसी भी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है अपीलार्थी का यह कथन भी गलत व कपोल कल्पित है। मातहत अदालत द्वारा पूर्ववृती अतिक्रमण करने एवं अपीलांटगण को बेदखल किया गया इस बाबत न केवल पश्चातवृती अतिक्रमी होने का नोटिस ही जारी किया गया बल्कि विगत वर्ष 2017 व 2018 में अतिक्रमण किये जाने का उल्लेख किया है बल्कि उनके प्रकरण संख्या एवं आरोपित जुर्माने का वर्ष का भी उल्लेख अपने निर्णय में किया है इससे यह सिद्ध होता है कि अपीलांटगण आदतन अतिक्रमी है तथा जैर अपील भूमी नियम आवंटन योग्य नहीं होने बाबत भी जिक्र अपने निर्णय में किया है। मातहत अदालत द्वारा जो कुर्की की कार्यवाही की गई है वह धारा 145 सीआरपीसी के तहत नहीं की गई है जबकि उक्त खड़ी फसल कुर्क कर निलाम करने की कार्यवाही धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत की गई है जो विधिसम्मत है। इस प्रकार की कार्यवाही अतिचारी को अतिक्रमित आराजी से लाभ उठाने से रोकने हेतु तथा अतिक्रमण की प्रवृति को हतोत्साहित करने हेतु की गई है जो विधी सम्मत है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज कि जाती है तथा नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 1504/2019–20 बअनवान सरकार बनाम रघुवीरसिंह में पारित आदेश दिनांक 06.03.2020 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15/3/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:25:56 IST
Reason: SelfAttested